तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2828 / 2006 / डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शांतिप्रकाश ओझा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 14–10–2025

निर्णय

यह रेफरेंस जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22–02–2006 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 4 बीस्वा किस्मा रा. II गत सेटलमेंट(भू–प्रबंध) संवत 2008 में खसरा नम्बर 869 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी, जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2014 में अप्रार्थी श्री सोमा पिता काला मीणा निवासी गोरादा के खातेदारी में दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते। भूमि की किस्म को बिना किसी अधिकार, बिना किसी सक्षम आदेश के गै0मु0नदी से परिवर्तित कर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, तलाई, नदी, नाले जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में नदी अभिलिखित किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 4 बीस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2828 / 2006 / डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किस्मा रा. II गत सेटलमेंट(भू–प्रबंध) संवत 2008 में खसरा नम्बर 869 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम दर्ज रही है। वर्तमान उक्त आराजी अप्रार्थी श्री सोमा पिता काला मीणा निवासी गोरादा के खातेदारी में दर्ज हो गई। अभिलेख से यह साबित है कि पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के खाते में दर्ज होने से पहले राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन नदी अंकित थी। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नदी'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
>
> (ii) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि चरागाह / नदी / नाला / तालाब (river) की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी चरागाह,नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2828 / 2006 / डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के खाते में विवादित भूमि का किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 4 बीस्वा किस्मा रा. II गत सेटलमेंट(भू–प्रबंध) संवत 2008 में खसरा नम्बर 869 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म नदी दर्ज करने एवं उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गए समस्त इन्द्राजात एवं नामान्तरकरण आदि निरस्त किए जाकर उक्त आराजी को राजकीय खाते में पुनः गै0मु0नदी दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	